

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत 4 (चार) अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रू. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 4 (चार) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका में छात्र/ छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रू. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय	10,00,000
2	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	20,00,000
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली	10,00,000
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका	10,00,000
	कुल	50,00,000

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष-112-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0101 - स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001120101 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी कोषागार, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली (हाजीपुर) एवं बांका से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि से पुस्तकों का क्रय एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर में संचालित बी. टेक. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम तथा शेष संस्थानों में संचालित बी. टेक. पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो. - 42/ 2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो. - 42/ 2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली (हाजीपुर) एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो. - 42/ 2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो. - 42/ 2018-

3258

/पटना, दिनांक- 3-12-18

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.18

सरकार के उप सचिव

3/12/18